159

आज़ादी का अमृत महोत्सव

बाढ़ अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांकः एफ.8(1) आ.प्र.एवं सहा/बाढ/2023/726-730 जयपुर, दिनांक 7-6-23

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :- मानसून के दौरान बाढ़ बचाव हेतु जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष (EOC) पर नागरिक सुरक्षा बाढ़ बचाव टीम तैनात रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मानसून वर्ष 2023 में बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिलों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की बाढ़ बचाव टीम को दिनाक 15 जून से 30 सितम्बर तक जिला बाढ नियंत्रण कक्ष (EOC) में लगातार 24 घण्टे (Round the Clock) उपलब्ध रखा जाता है, जिससे कि जब कभी भी आवश्यकता हो इनसे बाढ़ बचाव का कार्य लिया जा सके।

अतः प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की बाढ़ बचाव टीम को उपरोक्त अवधि के लिए नियोजित करने एवं टीम में आवश्यकतानुसार सदस्य रखने हेतु जिला कलक्टरों को अधिकृत किया जाता है।

इस संबंध में जिले के उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा से सम्पर्क कर बाढ़ बचाव टीम नियोजित करावें। बाढ़ बचाव में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का उक्त तैनाती में प्राथमिकता दी जावे। जिला कलक्टर्स द्वारा इन टीमों में तैनात किये जाने वाले स्वयं सेवकों को इस अवधि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार "आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग" के बाढ़ राहत मद" से किया जायेगा। इन टीमों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन व अन्य आवश्यक साजो सामान/उपकरण भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे।

शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, राजस्थान।
3. उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा, राज0 जयपुर।
4. समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा राजस्थान।

शासन उप सचिव

कार्यालय का पता- खाद्य भवन, भू-तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर-302005, दूरभाष नं. 0141-2227084 फैक्स नं. 0141-2227230
ई-मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

राजस्थान सरकार

कार्यालय अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

Telephone No.0294-2413278, E-mail ID: oicreliefudaipur@gmail.com

क्रमांक : एफ( )/जिआप्रप्रा/सहा/बाढ़/2023/292

प्रेषिति :-

दिनांकः 14.06.2022

उप नियंत्रक,
नागरिक सुरक्षा विभाग,
उदयपुर।

विषयः- नागरिक सुरक्षा बाढ़ बचाव टीम को जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष (EOC) में तैनात रखने के संबंध में।

प्रसंगः- शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक 726-730 दिनांक 07.06.2023 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निर्देशानुसार जिला स्तरीय ई.ओ.सी. पर नागरिक सुरक्षा विभाग के बाढ़ बचाव दलों को दिनांक 15 जून 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक 24 घंटे (राउण्ड द क्लॉक) तैनात किया जाना है। गत वर्षो में तैराकी एवं आपदा प्रबन्धन अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं बाढ़ की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने में सक्षम 32 स्वयंसेवकों में से 2-2 स्वयंसेवकों के 04 दल अर्थात 2 X 4 = 8 जिला आपदा प्रबंधन केन्द्र, उदयपुर (जिला ई.ओ.सी.) पर पारी-वार तथा एक दल प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक नियमित रूप से कार्य करेगा एंव शेष 3 X 8 = 24 को अग्निशमन केन्द्र, (नागरिक सुरक्षा विभाग) पुलां उदयपुर पर दि. 15.06.2023 से उपस्थिति देने हेतु पाबंद करे। दोनों स्थानों पर तैनात किये जाने वाले स्वंयसेवको की पृथक-पृथक सूची बेल्ट नम्बर व फोन नम्बर सहित इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

स्वंयसेवको को भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति दोनों केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित करा बिल इस कार्यालय को मास समाप्ति के 2 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि भुगतान की कार्यवाही समय पर की जा सके।

अत्यधिक वर्षा की स्थिति में अतिरिक्त स्वय सेंवको की तैनातगी की आवश्यकता होना संभावित है, इसलिए अतिरिक्त स्वंयसेवको का चयन कर सूचीबद्ध कर पूर्ण रूप से तैयार रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल तैनात किया जाना संभव हो सकें।

(ओ0पी0 बुनकर)
अति0 जिलाकलक्टर एवं सदस्य सचिव,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उदयपुर

प्रतिलिपि :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर।
3. जिला पुलिस अधीक्षक महो., उदयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर।
5. सचिव नगर विकास प्रन्यास , उदयपुर ।
6. सहायक कम्पनी कमाण्डर, एस.डी.आर.एफ. पुलिस लाइन, उदयपुर।
7. अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, अग्निशमन केन्द्र अशोक नगर उदयपुर।
8. निजी सहायक, जिला कलक्टर उदयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

अति0 जिलाकलक्टर एवं सदस्य सचिव,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उदयपुर